अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

प्रार्थी
जोगसिह पुत्र खेतसिह जाति राजपूत
निवासी मांडानी तहसील शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण
1. सूरजसिह पुत्र खेतसिह
2. शम्भूसिह पुत्र खेतसिह
3. लाडकुवर पुत्री खेतसिह
4. देसुकंवर पुत्री खेतसिह जातियान राजपूत निवासी माडानी
5. रमेशभाई पुत्र जयन्तिलाल जाति प्रजापति निवासी आतरसुबा साबरकांठा
6. भानुभाई पुत्र केशरभाई जाति प्रजापति नि0 नादरी तहसील वडाली साबरकांठा
7. मुकेशकुमार पुत्र छगनभाई जाति प्रजापति नि.नादरी तहसील वडाली साबरकांठा
8. हरेशभाई पुत्र केसाभाई जाति प्रजापति निवासी खेडबम्हा साबरकाठा
9. ईश्वरभाई पुत्र जोईताभाई जाति प्रजापति निवासी वडाली साबरकाठा
10. हंसमुखभाई पुत्र डायाभाई जाति प्रजापति निवासी नादरी साबरकाठा।
11. राज.सरकार तहसीलदार शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र–29 /2020

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:आदेश:–

दिनांक 6.10.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्राथीगण संख्या 1 ता 4 के सयुक्त स्वामित्व की राजस्व भूमि मौजा मांडानी पटवार हल्का ओडा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 76,141,142,142/395 किता तीन कुल रकबा 112बीघा 17 बिस्वा भूति आई हुई है उपरोक्त समस्त खसरान की भूमि सयुक्त रूप से अविभाजित होकर एक ही चक मे आई हूई है। प्रार्थी जोगसिह व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने दिनाक 24.9.2018 को अपनी सयुक्त राजस्व भूमि के खसरा नम्बर 142 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा मे से 20 बीघा राजस्व भूमि अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 को जरिये विक्रय विलेख के बेचान कर सुपर्द कर दिया व शेष रकबा 11–04 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 4 का सयुक्त होकर अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 के साथ बतोर सयुक्त खातेदार प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 141 मौजा मांडानी के उपरोक्त राजस्व भूमि पर काबिज काश्त है।

उपरोक्त प्रार्थी व अप्राथीगण के सयुक्त राजस्व भूमि को अप्राथीगण संख्या 5 से 10 के नाम बेचान सुदा रकबा 20.00 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 782 दिनाक 6.11.2018 को तहसीलदार शिवगंज के समक्ष वास्ते नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु पेश पटवारी ओडा द्वारा प्रस्तुत करने पर तहसीलदार शिवगंज ने नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश/रिमार्क के स्थान पर त्रुटिवंश उक्त बेचान के बाद दर्ज खातेदारान के पसक्ष मे तरमीम हेतु केता व विक्रताओ के हस्ताक्षर करने हेतु निर्देशित करने के लेख की राजस्व इन्द्राज की त्रुटी कर दी गई, उक्त त्रुटीवश पटवार हल्का ओडा के राजस्व कर्मचारी/पटवारी ने समस्त खातेदारान की अनुमति व राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 53(2)(1) के प्रावधान अनुसार आपसी ईकरारनामा अनुसार नही कर नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रति के पिछे मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा 5 से 10 के उक्त राजस्व भूमि के नजरी नक्शे पर हस्ताक्षर करवाकर मौके पर राजस्व भूमि के किमती व उपजाउ हिस्से को राजस्व दस्तावेज जमाबंदी मे दर्ज कर दिया व प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के आपसी सहमति (ईकरारनामा) के बिना ही उन्हे खसरा नम्बर 141/2 के खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्शित कर सयुक्त राजस्व भूमि मे पीछे के हिस्से मे काबिज होना दर्शा दिया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व नियम 19 व 20 के प्रावधानो के विपरित है। प्रार्थी द्वारा दौराने निरीक्षण त्रुटी का ज्ञान होने पर राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार कैलाशनगर को सूचित कर दिया था। प्रार्थी ने बहुवाद को बढाने से रोकने के लिये राजस्व रेकर्ड की उक्त गलती का शुद्धिकरण किया जाना [illegible]। अतः खसरा मौजा मांडानी पटवार हल्का ओडा के खसरा नम्बर 141 रकबा 31–04 बीघा [illegible] राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिवश किये गये तरमीम इन्द्राज को दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड की गलती का शुद्धिकरण [illegible] को यथावत पूर्वानुसार सयुक्त रूप से नक्शा ट्रेस व जमाबंदी मे दर्शित करने के आदेश [illegible] करावे।

दिनाक 17.12.2020 को प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी जो बाद तामीली के शामिल मिसल किया गये। दिनाक 11.2.2021 [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 5 लगाय[illegible] की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्रसिह ने वकालातना पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने नोटिस लेने से इन्कार किया जो तामीली मे शूमार होने से तथा तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त कृषि भूमि मे से अपने हिस्से का बेचान करने तथा कोई शेष हिस्सा व अधिकार नही रहने से प्रकरण मे से नाम हटाये जाने का पेश किया जिसे स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 3 लाडकंवर व 4 देसुकंवर का नाम हटाया जाकर शेष पक्षकार यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया।.............शेष पेज संख्या दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 16:19:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रा.पत्र स. 29/2020 अ.धारा 136 एआरएक्ट
जोगसिह बनाम सुरजसिह वगैरा

–पेज संख्या दो–

..अप्रार्थी संख्या 5 लगाय 10 की और से अधिवक्ता ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की दिनाक 23.9.2021 बहस को सुनी गई। पत्रावली राजस्व लोकर अदालत केम्प ओडा मे पेश हुई प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज के द्वारा जवाब मे बताया कि दिनाक 24.8.2018 को जरिये बेचान दस्तावेज अनुसार खातेदार शम्भूसिह, जोगसिह, सूरजसिह, पि0 खेतसिह व देसुकुवर, लाडकुवर पुत्रीया खेतसिह द्वारा खसरा नम्बर 141 रकबा 31–04 बीघा मे से 20 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थीगण 5 ता 10 को किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण दायर किया जाकर तरमीम कर बट्टा नम्बर दिये गये लेकिन दिशा नही दर्शायी गई जिससे तरमीम की दुरस्ती कर पुन खसरा नम्बर 141 एक किया जावे। केम्प कोर्ट ओडा मे उपस्थित पक्षकारान ने मौके पर उपस्थित होकर पटवारी हल्का मय भू अभिलेख निरीक्षक मांडानी द्वारा तैयार मौका फर्द एव मौका नजरी नक्शा के तरमीम दुरस्ती किये जाने पर आपस मे सहमति जाहिर कर मौका फर्द मे हस्ताक्षर किये जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली एंव तहसीलदार शिवगंज द्वारा पक्षकारो की आपसी राजीनामा/सहमति के अनुसार तैयार मौका फर्द एंव नजरी का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः खसरा नम्बर 141 रकबा 31–04 बीघा मे से **20–00 बीघा भूमि के पूर्व दिशा मे अप्रार्थी संख्या 5 लगाय 10 एंवम शम्भूसिह के हिस्सा के बीच मे अप्रार्थी संख्या 5 लगाय 10 द्वारा टयूबवेल खोदा गया इनकी खातेदारी मे समाहित किये जाने हेतु छोडा गया है। शेष 11–04 बीघा भूमि पश्चिम दिशा** मे शम्भूसिह, जोगसिह, व सूरजसिह वगैरा का हिस्सा रहेगा । पूर्व मे की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तहसीलदार शिवगंज को पक्षकारो की सहमति आधार पर तैयार मोका फर्द एंव नजरी नक्शा अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। मौका फर्द एंव नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय कोर्ट कैम्प मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त आज दिनांक 6.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भागीरथ राम R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज केम्प कोर्ट

11/6.10.21

प्रतिलिपि पालनार्थः–
1. तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज केम्प कोर्ट
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 16:19:39 IST
Reason: SelfAttested